फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री शंकर सिंह चुण्डावत, एडवोकेट, C/O एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा सुदर्शन टॉवर, गायत्री आश्रम, भीलवाड़ा

बनाम

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 81/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/9/20	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री शंकर सिंह चुण्डावत, एडवोकेट C/O एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा सुदर्शन टॉवर, गायत्री आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 10.02.2020 को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी उनके कार्यालय से संबंधित है जो कि परिवहन विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (के.के. शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official